सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 15, सोमवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 07, *2024*

Asvina 15, Monday, Saka 1946- October 07, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 2024

संख्या एफ.8(1)(वीडीए)/न्यू.म./श्रम/2000 :-चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले सस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरे एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा की गई थी।

चूंकि अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर, 1999 में यह तय किया गया था कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचंकांक 2003 (1960=100) (माह जनवरी, 1999 से जून, 1999 के औसत) को आधार मानते हुए इसके ऊपर देय होगा। इस प्रकार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना प्रति वर्ष विगत माह जुलाई से जून के औसत सूचकांक (जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी)के आधार पर देय होगा।

चूंकि श्रम ब्यूरों द्वारा आधार वर्ष 2016=100 के सूचकांक को 1960=100 के आधार वर्ष से तुलनात्मक बनाते हुए नई श्रंखला जारी होने से पूर्व नई एवं पुरानी श्रंखला के 12 महीनों के सभी केन्द्रों के औसत सूचकांक का औसत लेकर उनके अनुपात के आधार पर राज्य के जयपुर, अलवर व भीलवाडा केन्द्रो के लिए एक लिकिंग फैक्टर 62.89 सूचित किया है।

चूंकि श्रम आयुक्त, राजस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11सन् 1948) की अधिसूचना क्रमांकएफ.8 (1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/ 2000/पार्ट-1/Rajkaj 10433465दिनांक19.09.2024 के अनुसार जुलाई, 2023 से जून, 2024 के 12 महीनों की अवधि में जयपुर, अलवर एव भीलवाडा केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का औसत 8078 (1960=100) रहा है और इस प्रकार पूर्व में श्रम ब्यूरो शिमला के जयपुर, अलवर एवम भीलवाडा केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 8060 (1960=100) (माह जुलाई, 2022 से जून, 2023

के आंकडों के औसत) के ऊपर जुलाई, 2023 से जून, 2024 की अवधि में (8078-8060=18पॉइन्ट) 18 बिन्दुओं की बढ़ोतरी हुई है।

अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा निर्धारित मान एवं निर्देशों के क्रम में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11 सन् 1948) की धारा 2 खण्ड (ग) एवं (घ)सपठित धारा4 की उपधारा (2) की अनुपालना में जारी अधिसूचना क्रमांकएफ.8 (1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/ 2000/पार्ट-1/Rajkaj 10433465दिनांक19.09.2024के अनुसरण में किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले संस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजित कामगारों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2024से 30 सितम्बर, 2025तक के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा:-

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग		न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (प्रति माह/ प्रति दिन रू0 में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें (प्रति माह/प्रति दिन रू0 में)	कुल मजदूरी (प्रति माह/ प्रति दिन रू0 में)
1.	पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर)	1. क	**<u>अकुशल कामगार</u>** बेलदार, वर्ककीपर, जलधारी, क्रेच अटेन्डेन्ट, स्वीपर, पत्थर ढ़ोने वाला	रू0 2106/- प्रति माह	रू0 5975/- प्रतिमाह	रू0 8081/- प्रतिमाह
		ख	मददगार, जरीबी	रू0 2137.25 प्रतिमाह	रू0 5975/- प्रतिमाह	रू0 8112.25 प्रतिमाह
		ग	चौकीदार, जमादार (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो परन्तु जो अकुशल कार्य करते हो)	रू0 2167.90 प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8142.90 प्रतिमाह
		2.	**अर्द्धकुशल कामगार**मुंशी, भू-सर्वेक्षक, मेट (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु	रू0 2255/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8230/- प्रतिमाह

			जो अर्द्धकुशल कार्य करते हो)			
		3. क	**कुशल कामगार** मिस्त्री, बढ़ई, जलाईदार, लुहार, यंत्रक, फिटर्स, लाईनमैन, बिजली वाला, वाशमेन	रू0 2383/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8358/- प्रतिमाह
		ख	मोटरगाडियों के ड्राईवर, 10 अश्वशक्ति मशीनों के ड्राईवर	रू0 2656/ प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8631/- प्रतिमाह
		ग	यांत्रिक, आन्ध्रिक, विस्फोटकर्ता, पत्थर चलित चालक	रू0 2656/- प्रतिमाह	रू 5975/- प्रतिमाह	रू0 8631/- प्रतिमाह
2.	ग्लास एवं चाईनावेयर	1.	अकुशल कामगार	रू0 2106/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8081/- प्रतिमाह
		2.	अर्द्धकुशल कामगार	रू0 2255/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8230/- प्रतिमाह
		3.	कुशल कामगार	रू0 2383/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8358/- प्रतिमाह
3.	नमक उद्योग	क	**निर्माण कार्य (मैन्यूफैक्चरिंग)-** क्यारियों का समतल करना, धुलाई, सफाई, रेस्टा फैलाना, नील हटाना, तारी तोड़ना, नालियों की सफाई आदि घाटी से चिकनी मिट्टी हटाना, क्यारियों का पुनर्भरण	रू0 2106/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8081/- प्रतिमाह
		ख	निकासी एवं भण्डारण			
		1.	ढेर लगाना, ढुलाई तथा ट्रकों में लदाई जहां से कार्य एक ही कामगार टोली द्वारा किया जावे	रू0 33.55 प्रति 104.25क्यू. मीटर्स	रू5975/- प्रतिमाह या 230.11प्रतिदिन	-

			(100 क्यूबिक फीट)			
		2.	ढेर लगाना ,ढुलाई या बोरी	रू0 2106/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8081/- प्रतिमाह
		ग	प्रेषण कार्य में ट्रकों में लदाई सम्मिलित रूप से अथवा अकेले			
		1.	कटाई एवं भराई	रू0 272.75 प्रति 156 बेग्स या145 क्विन्टल	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		2.	तुलाई एवं लदाई	रू0 435.63 प्रति 156 बेग्स या 145 क्विन्टल	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		3.	सिलाई	रू0 52.35/- प्रति156 बेग्स या 145 क्वि. के वेगन लोड परन्तु 60रू0 प्रतिदिन से कम नहीं होगा	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		घ	सामान्य			
		1.	पम्पिंग कामगार मिस्त्री	रू0 117.57 प्रतिदिन	रू0 230.11 प्रतिदिन	रू0 347.68 प्रतिदिन
		2.	अन्य प्रणाली या कार्य जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है।	रू0 81/- प्रतिदिन	रू0 230.11 प्रतिदिन	रू0 311.11 प्रतिदिन
		3.	बंधेवाल	रू0 327.41 प्रति मीट्रिक टन (2.75 व्यक्ति)	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-

4.	ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले सस्थान के नियोजन	1.	टाईम रेट मेन्यूअल ऑक्यूपेशनल मिनिमम टाइम रेट	रू0 2106/- प्रतिमाह या 81 रू0 प्रतिदिन	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	रू8081/- प्रतिमाह या रू0 311.11 प्रतिदिन
		2.	पीस रेट ऑक्यूपेशन			
		क	यार्न ओपनर मिल स्पून 40 काउन्ट तक	रू0 4.05 प्रति किलो (हेण्ड स्पून 30 किलो तक) रू0 8.10प्रति किलो	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
			मिलस्पून 70 काउन्ट तक	रू 9.25 प्रतिकिलो	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
			मिलस्पून 70 काउन्ट से अधिक	रू0 10.38 प्रतिकिलो	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		अ	स्पिनर वूलस्पून	रू0 2329 प्रतिकिलो	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		ब	वाशरमैन	रू0 2678 प्रतिमाह	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	रू0 8653/- प्रतिमाह
		स	ड्राईवर	रू0 2663 प्रतिमाह	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	रू8638/- प्रतिमाह

		द 1.	वीयर प्लेन कारपेट (एकरंग) 40,000 नॉटस तक प्रति वर्गगज	रू0 141.72प्रति वर्ग मीटर	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		2.	40000 नॉटस से अधिक के नमूने दार गलीचे	रू0 144.57 प्रति वर्गमीटर	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		3.	15 रंगो वाले 30 हजार नॉटस तक	रू0 227.68 प्रति वर्गमीटर	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		4.	20 रंगों वाले 30 हजार नॉटस तक	रू0 275.33 प्रति वर्गमीटर	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		5.	20 रंगों से अधिक और 40 हजार नॉटस	रू0 428.83 प्रति वर्गमीटर	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		च	क्लीनर्स	रू0 2504 प्रति माह	रू0 5975/- प्रतिमाह	रू0 8479/- प्रतिमाह
			(4x4) नॉटस			
		छ	एम्बेजर्स	रू0 2752 प्रतिमाह	रू0 5975/- प्रतिमाह	रू0 8727 /- प्रतिमाह
		ज	कारपेट मिस्त्री	रू0 2541 प्रतिमाह	रू0 5975/- प्रतिमाह	रू0 8516/- प्रतिमाह
5.	पापड़ उद्योग	1.	1.6 इंच साईज तक के पापड प्रति सैकड़ा	रू0 15.11	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		2.	2.6 इंच से अधिक तथा 8 इंच तक के पापड़ प्रति	रू0 19.62	रू05975/- प्रति माह या रू0	-

			सैकड़ा		230.11 प्रतिदिन	
		3.	8 इंच से अधिक तथा 10 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रू0 22.60	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		4.	10 इंच से अधिक तथा 12 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रू0 30.19	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		5.	पापड बेलने के कार्य के अतिरिक्त जो भी कर्मचारी इस नियोजन में नियोजित है उसे दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान में नियोजित कर्मचारी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार भुगतान देय होगा तथा वी.डी.ए. इस नियोजन के अन्य कामगारों के समान देय होगा।	-	-	-

स्पष्टीकरण

1. उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/ 86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
2. उक्त पांचों अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना जुलाई, 2023 से जून, 2024 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (18 अंक) एक रूपया प्रति बिन्दु प्रति माह के मान से की गई है। गणना रूपये के निकटतम मूल्य के अनुसार की गई है।
3. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत कुल मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।

4. दैनिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना मासिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 26 का भाग देकर की जावेगी।
5. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
6. ये वी.डी.ए. दरें 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

करणसिंह,
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी,
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम /आई.आर./2000/पार्ट/ 2846 जयपुर, दिनांक : 2-2-2022

अधिसूचना

चुंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

अनुसूची " भाग–I"

क्र.सं0	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3	ऑटोमोबाईल वर्कशॉप
4	कॉटन–डाईंग, प्रिन्टिंग तथा वाशिंग फैक्ट्रीज
5	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों में नियोजन
7	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8	पावरलूम फैक्ट्रीज
9	प्रिंटिंग प्रेस
10	सिनेमा इण्डस्ट्रीज
11	तेल मिल (ऑयल मिल)
12	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13	वूल क्लिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14	हैण्डलूम उद्योग
15	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपान के नियोजन
16	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान

17	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20	अभ्रक कर्मान्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
22	सड़को के संन्निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन
23	सरकारी कार्यालयों में कंटिजेन्सी एण्ड वर्क्स (आकस्मिक जिसमें निगम तथा मण्डलों में नियुक्त श्रमिक / कामगार भी शामिल है)
24	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन
25	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
26	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
28	जट पट्टी उद्योग
29	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
30	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
31	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स (जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो) में नियोजन।
32	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
33	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योग में नियोजन
34	कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा एवं अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
35	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
36	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन
37	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखाने जो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
38	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एचवं संस्थाओं मे नियोजन
39	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेज इण्डस्ट्रीज में नियोजन
40	एल.पी.जी. वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
41	मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स को-ऑपरेटिव सोसायटीज में नियोजन
42	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
43	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन
44	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
45	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ.एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनों में सम्मिलित नहीं है
47	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग में नियोजन
48	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंग ऐजेन्सीज में नियोजन
49	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के) में नियोजन
50	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग में नियोजन
51	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग में नियोजन

अनुसूची "भाग–II"

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम
52	**(कृषि में नियोजन)**– किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, पशुधन पालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ–साथ की गई कियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनुसूची भाग I एवं II में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरें (रूपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
1. **अकुशल** – बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर,, फर्राश, धोबी, भिश्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, साईकिल सवार, निर्वाहक, मुख्य नायिक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रोली फिलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफ्टर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जींगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्कर्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रोलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर–क्लीनर, कोलमैन, केटमैन, गेटकीपर, कुक कैरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिऑन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, क्लीनर – होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100–100 घटाकर वेतन देय होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)	6734/–	259/–

2. **अर्द्धकुशल** – मुंशी, भू मापक,, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर्स, सहायक पेन्टर्स, वे–मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, चर्मकार, अस्सिटेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिटेन्ट फिटर, अस्सिटेन्ट कारपेन्टर, अस्सिटेन्ट टर्नर, अस्सिटेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिटेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिटेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिटेन्ट स्कीन प्रिन्टर, वर्क्स एंगेज्ड ऑन हैण्डिलिग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिटेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राईडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गैट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाईण्डिग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाईजर), कोल्हूमैन, फिटरमैन, फायरमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पैट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउथर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्बलिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोजर्र, वेटमैन, सिल्कमैन, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज ओर कटर्स, स्वीपर (गटर सफाई वाला) तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)	7046/–	271/–
3. **कुशल** – मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नरर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रेक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिट्टी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्ति तक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इक्विपमेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय	7358/–	283/–

पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेण्डेण्ट, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डक्टर्स, ड्राईवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेट्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स ऑफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर, ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाईजर, मशीन फिटर, टर्नर, प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, बिलोरूम जोबर, बिल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, कुक, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्फेक्शनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीवेटर ऑपरेटर, बेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, असिसटेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाईजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर–लाईनो/मोनो, डाई प्रिन्टर, कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर,डाईग मास्टर, कन्टेनर मैन, फोरमैन,कार्डिग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस–ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्लर, स्क्रिन प्रिन्टिग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फेल्ट मास्टर कूशिंग एण्ड पिग्मेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक **प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर, जूनियर टैक्नीकल असिसटेंट** तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो कुशल कार्य करते हो)		
उच्च कुशल (highly skilled)- स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाईजर, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, **लैब टेक्निशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, ई.सी.जी. टेक्निशियन, रेडियोग्राफर मैन पॉवर,** फार्मेसिस्ट, सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट, **कुक,मेल/फिमेल, नर्स** तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)	8658/–	333/–

टिप्पणियाँ:–

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय **(overtime)** कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. **(क) अकुशल** (Unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नही है, सम्मिलित है। 2वर्ष कार्य करने के बाद ऐसे समस्त अकुशल कामगार अर्द्धकुशल श्रेणी के कामगार के समक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे।

   (ख) अर्द्धकुशल (Semi-skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षणीय कार्य भी सम्मिलित है। अर्द्धकुशल श्रेणी में सम्मिलित समस्त कामगार 3 वर्ष कार्य करने के बाद कुशल श्रेणी के कामगार के समक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे।

   (ग) कुशल (Skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है। कुशल कामगार जिसने या तो 5 वर्ष कुशल श्रमिक की तरह उक्त पद का कार्य अनुभव या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताऐं अर्जित कर ली है, जो भी पहले हो, वह उच्च कुशल कामगार के समकक्ष दरों से मजदूरी पाने का अधिकारी होगा।

   (घ) उच्च कुशल (Highly Skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षो के व्यवहारिक (Practical)

कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यो के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।

7. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
8. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
9. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(Consumer Price Index)** दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 171 अंक है।
10. पार्ट टाईम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।
11 उक्त मजदूरी की दरे दिनांक 01.07.2021 से लागू होगी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या–8986/2021 में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित होने के क्रम में आवश्यकतानुसार पृथक से समीक्षा/पुनरीक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/2847-2891 जयपुर, दिनांक : 2-2-2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतू।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।

6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कम संख्या– 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि. /श्रम /आई.आर. /2000 /पार्ट /2984 जयपुर, दिनांक : 2/2/2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ''ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम-रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं'' (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोडकर) के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
1.00	भवन निर्माण		
1.01	नींव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक फैंकना		
	(अ) साधारण मिट्टी	2.00 घ.मी.	259.00
	(ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में	1.61 घ.मी.	259.00
	(स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90	1.07 घ.मी.	259.00
1.02	अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए	12.50 घ.मी.	259.00
1.03	अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	4.00 घ.मी.	259.00
1.04	नींव में धाडला, कंकर या झाझारा डालना तथा कुटाई करना	4.00 घ.मी.	259.00
1.05	नींव में खड़ी ईंटें डाईगोनल हैरिंग बोन्ड पैटर्न में गारा मिट्टी में लगाना	5.00 घ.मी.	259.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
1.06	नींव में चूने कांक्रीट 40 मि.मि; नापीय माप की पत्थर की गिट्टी/ईंट की गिट्टी के साथ डालना कुटाई करना	0.38 घ.मी .	259.00
1.07	नींव में सीमेंट कंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की पत्थर की गिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.47 घ.मी .	259.00
1.08	नींव में गारा मिट्टी को कंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की गिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.71 घ.मी .	259.00
1.09	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई गारा मसाले में	1.00 घ.मी .	259.00
1.10	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई चूना-मसाले में	1.00 घ.मी .	259.00
1.11	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई सीमेंटमसाले में-	1.00 घ.मी .	259.00
1.12	अतिरिक्त ईंट की चिनाई अधिरचना में	3.23 घ.मी .	259.00
1.13	ईंटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में	5.00 घ.मी .	259.00
1.14	नींव में पत्थर की बेरदा ढोका चिनाई गारा/चूना/सीमेंट मसाले में	0.71 घ.मी .	259.00
1.15	अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु	2.86 घ.मी .	259.00
1.16	रद्दा कतार ढोका चिनाई में अतिरिक्त श्रम	6.25 व.मी.	259.00
1.17	पत्थर के सिरदल चढाना, लगाना	3.00 व.मी.	259.00
1.18	पत्थर के रफ तरासी दहल, दासा तथा कोपिंग मसाल में लगाना	1.59 व.मी.	259.00
1.19	पत्थर के टांड, ताक लगाना	7.69 व.मी.	259.00
1.20	पत्थर के छज्जे लगाना	3.81 व.मी.	259.00
1.21	पत्थर की पट्टियों की छत डालना तथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में	10.00 व.मी.	259.00
1.22	पट्टियों की छत पर ईंट गारा खडंजा लगाना 100 मिमी मोटाई में डालना	1.18 व.मी.	259.00
1.23	पक्के ईंट के टुकड़े या पत्थर के पच्चड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में अंवरिया डालना	9.09 व.मी.	259.00
1.24	छत के ऊपर खड़ी ईंट का वर्गाकार खडंजा मसाले में लगाना	5.56 व.मी.	259.00
1.25	90 मि.मी. औसत मोटा चूने का दड़ डालना, थप्पी देना, कूटना आदि	2.86 व.मी.	259.00
1.26	सीमेंट कांक्रीट दड स्टील के साथ	2.78 व.मी.	259.00
1.27	आर.सी.सी. कार्य में सीमेन्ट कंक्रीट डालना	0.4 व.मी.	259.00
1.28	सेन्टरिंग, शटरिंग	6.66 व.मी.	259.00
1.29	आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर	100.00 कि.ग्रा.	259.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
	लगाना, बांधना आदि		
1.30	लोहे की इस्पात चद्दरों की छत डालना	12.27 व.मी.	259.00
1.31	एस्बेस्ट्स/पी.वी.सी. की छत डालना	23.00 व.मी.	259.00
1.32	एक्सपो नालीदार चादर की छत डालना	22.50 व.मी.	259.00
1.32	लोहे के गर्डर को काटना, चढ़ाना, लगाना	66.73 व.मी.	259.00
1.34	3 मी. पटाव वाली कड़ियों तथा पहिले से बनी फैरो सीमेंट स्लेब से छत डालना	1.35 व.मी.	259.00
1.35	जेक डाट की छत पूर्ण कार्य	2.13 घ.मी .	259.00
1.36	फर्श के नीचे सूखे पत्थरों का खडंजा लगाना	3.33 घ.मी .	259.00
1.37	फर्श में चूना कांक्रीट डालना	0.56 घ.मी .	259.00
1.38	फर्श के नीचे सीमेंट कांक्रीट डालना	0.61 घ.मी .	259.00
1.39	50 मि.मी. मोटी सीमेंट कांक्रीट फर्श का कार्य	4.35 व.मी.	259.00
1.40	कोटा स्टोन को मसाले के ऊपर लगाना	5.00 व.मी.	259.00
1.41	मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कंक्रीट सहित	5.00 व.मी.	259.00
1.42	मार्बल का फर्श लगाना घिसाई सहित	3.13 व.मी.	259.00
1.43	मार्बल/कोटा स्टोन की स्कर्टिंग लगाना घिसाई सहित	4.00 व.मी.	259.00
1.44	चूना प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	6.25 व.मी.	259.00
1.45	सीमेंट प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	7.69 व.मी.	259.00
1.46	सीमेंट प्लास्टर छत पर करने के लिए अतिरिक्त	16.67 व.मी.	259.00
1.47	टीप का कार्य सीमेंट मसाले में	12.50 व.मी.	259.00
1.48	सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर)	50.00 व.मी.	259.00
1.49	इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर)	18.52 व.मी.	259.00
1.50	दरवाजों/खिड़कियों को लगाना (स्टील के)	4.00 व.मी.	259.00
1.51	सीमेन्ट-कंकरीट की जाली लगाना	3.60 व.मी.	259.00
1.52	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	100.00 व.मी.	259.00
1.53	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियाँ, 30 सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	80.00 व.मी.	259.00
1.54	एस्बेस्ट्स सीमेंट के पाईप लगाना	16.67 मी.	259.00
	सड़क कार्य		
1.55	पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तनों व शाखाओं को काटना तथा चट्टा लगाना, गड्डा ठीक करना		
	(1)150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	2.00 पेड़	259.00
	(2)300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	1.00 पेड़	259.00
	(3)600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.57 पेड़	259.00
	(4)900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.40 पेड़	259.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
	(5)1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले	0.29 पेड़	259.00
	(6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले	0.20 पेड़	259.00
1.56	मिट्टी का कार्य कटाई में 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर तक निष्पादन, डागवेल लगाना, हौदा में केम्बर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथा दरेसी करना		
	(1)साधारण मिट्टी	4.00 घ.मी .	259.00
	(2)सख्तचिकनी- मिट्टी में	2.50 घ.मी .	259.00
	(3)कंकर मिट्टी में	1.82 घ.मी .	259.00
	(4)मुलायम चट्टान	1.11 घ.मी .	259.00
1.57	विस्फोट किये हुये चट्टान से पत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना	0.71 घ.मी .	259.00
1.58	पत्थरों को निम्न नापीय माप में तोड़ना		
	(1) 80 मि.मी. नापीय माप के	3.03 घ.मी .	259.00
	(2) 63 मि.मी. नापीय माप के	2.63 घ.मी .	259.00
	(3) 40 मि.मी. नापीय माप के	1.00 घ.मी .	259.00
	(4) 20 मि.मी. नापीय माप के	0.80 घ.मी .	259.00
	(5) 12 मि.मी. नापीय माप के	0.50 घ.मी .	259.00
	(6) 10 मि.मी. नापीय माप के	0.40 घ.मी .	259.00
1.59	झामा ईंटों को निम्न नापीय माप में तोड़ना		
	(1) 63 मि.मी. नापीय माप में	2.00 घ.मी .	259.00
	(2) 40 मि.मी. नापीय माप में	1.51 घ.मी .	259.00
	(3) 20 मि.मी. नापीय माप में	0.91 घ.मी .	259.00
	(4) 10 मि.मी. नापीय माप में	0.80 घ.मी .	259.00
1.60	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढाना	5.00 घ.मी .	259.00
1.61	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना	7.14 घ.मी .	259.00
1.62	सामग्री का केवल चट्टा लगाना	15.97 घ.मी .	259.00
1.63	मिट्टी का कार्य, भराई में सडक के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी.तक ले जाना , ढले तोड़ना तथा 2 से.मी. परतों में बिछाना समतल कर केम्बर व ग्रेड बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	3.45 घ.मी .	259.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	2.27 घ.मी .	259.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(3) कंकर मिट्टी में	1.69 घ.मी .	259.00
1.64	सड़क निश्चित केम्बर, ग्रेड में ग्रेवल, कंकर, क्वेरी रिबश तथा कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. से कम मोटाई में बिछाना व फैलाना	3.33 घ.मी .	259.00
1.65	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर-ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईडिंग मेटेरियल डालना रोलर से) (कुटाई के अलावा	1.72 घ.मी .	259.00
1.66	बेरदवा ढोका 23 से.मी. उंचाई में, खडंजा लगाना, मिट्टी जोड़ो में भरना, खडंजे के होदा में से निकली अतिरिक्त मिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना ।	3.33 व.मी.	259.00
	बिना मसाले के सूखासीमेन्ट/ बजरी	3.13 व.मी.	259.00
1.67	किनारों पर खड़ी ईंटों का खडंजा, जोड़ों में मिट्टी भरना	4.03 घ.मी .	259.00
1.68	सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए कंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने सहित (कम्पन मशीन चलाने के अतिरिक्त), 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु	0.61 घ.मी .	259.00
	सामाजिक वानिकी		
1.69	1.50x0.90x1.2 मीटर माप की खड्डा बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.)	1.23 खड्डे बाड़	259.00
	(2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.)	1.0 खड्डे बाड़	259.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	0.66 खड्डे बाड़	259.00
1.70	ढोला फेन्सिंग जिसमें नीचे का आधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. और उंचाई 1.2 मीटर हो		
	(1) साधारण मिट्टी में	5.00 मी.	259.00
	(2) सख्त मिट्टी में	3.33 मी.	259.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	2.50 मी.	259.00
1.71	उपलब्ध पत्थर से सूखी चिनाई कर फेंसिंग दीवार बनाना	1.43 घ.मी.	259.00
1.72	45X45X45 से.मी. माप के गड्डे करना		
	(1) साधारण मिट्टी में	22.00 गड्डे	259.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	20.00 गड्डे	259.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	10.00 गड्डे	259.00
1.73	पौधा रोपण करना		
	(1) सामान्य जमीन में	45.00पौधा	259.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(2) पथरीली जमीन में	37.00पौधा	259.00
1.74	बीज बुवाई बनाये गये रिज पर	227.00पौधा	259.00
1.75	पौधों को पानी पिलाना	77.00पौधा	259.00
1.76	पौधों की निडाईगुडाई-	111.00पौधा	259.00
1.77	थांवला बनाना		
	(1) सामान्य जमीन में	77.00नग	259.00
	(2) पथरीली जमीन में	56.00नग	259.00
1.78	उडते हुए रेत टीलों पर 50 मी. दूरी तक से सनिया छीप उखाड कर लाना और मलचिंग करना	18.00 मी.	259.00
	सिंचाई		
1.79	मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. परत में डालना, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलर से मिट्टी दबाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	2.10 घ.मी .	259.00
	(2) कठोर मिट्टी में	1.90 घ.मी .	259.00
1.80	सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिट्टी पत्थर की 40 मि.मी. नापीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा)	0.61 घ.मी .	259.00
1.81	15 से 30 से.मी. मोटे हथौड़े से तरासे हुए पत्थर से पिचिंग	2.00 घ.मी .	259.00
1.82	फिल्टर टो में परतों में धुली मोटी बजरी डालना चाहे गए प्रोफाइल में	1.52 घ.मी .	259.00
1.83	फिल्टर टो में परतों में धुले हुए बेलास्ट-ग्रेवल को चाहे गए प्रोफाईल में	2.00 घ.मी .	259.00
	स्वच्छता जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना		
1.84	मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	2.00नग	259.00
1.85	हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	3.33नग	259.00
1.86	जस्ती लोहे के पाईप मय फिटिंग, झिरी काटने सहित	3.33नग	259.00
	(1) 15 मि.मी. व्यास	28.57 मी.	259.00
	(2) 25 मि.मी. व्यास	22.22 मी.	259.00
1.87	पाषाण भाण्ड(एस.डबल्यू.) पाईप का डालना, जोड़ों में 1:1 का मसाला भरना, टेन्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्डे को।	6.67 मी.	259.00
1.88	चाइना क्ले की चमकीली टाईल लगाना	6.67 व.मी.	259.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
1.89	आरसीसी का कुएं के लिए कर्व तैयार करना तथा कुएं में बैठाना		259.00
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए	3.57 कर्व	259.00
	(2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं के लिए	2.27 कर्व	259.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.61 कर्व	259.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.14 कर्व	259.00
1.90	आर.सी.सी. के (रिंग) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना		259.00
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. मोटी)	12.50 रिंग	259.00
	(2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	10.00 रिंग	259.00
	(3) 1.50मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	6.67 रिंग	259.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिएbg (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	5.00 रिंग	259.00

टिप्पणी:–

1. इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके सम्बन्ध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
4. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(Consumer Price Index)** दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 171 अंक है।
5. उक्त मजदूरी की दरे दिनांक 01.07.2021 से लागू होगी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या–8986/2021 में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित होने के क्रम में आवश्यकतानुसार पृथक से समीक्षा/पुनरीक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि. / श्रम / आई.आर. / 2000 / पार्ट / 2985-3029 जयपुर, दिनांक : 2/2/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतू।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त / उप / सहायक श्रम आयुक्त / श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कम संख्या- 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम /आई.आर./2000/पार्ट/2938 जयपुर, दिनांक : 2 2/2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में " विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन" के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दर (रूपये में)
1	विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन	उच्च कुशलः– विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (एम.आर.)	333/– रूपये प्रतिदिन या 8658/– रूपये प्रतिमाह

टिप्पणियां:–

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।

3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टे प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय **(overtime)** कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. **(क) उच्च कुशल (highly skilled)** कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।
7. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवर एवं भीलवाड़ा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(Consumer Price Index)** दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 171 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरे दिनांक 01.07.2021 से लागू होगी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या–8986/2021 में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित होने के क्रम में आवश्यकतानुसार पृथक से समीक्षा/पुनरीक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम /आई.आर./2000/पार्ट/2939-2983 जयपुर, दिनांक : 2/2/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।

7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कम संख्या– 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम /आई.आर./2000/पार्ट/ 2892   जयपुर, दिनांक : 2 2/2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में "ईट भट्टों के उधोग में नियोजन" के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक हैं, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतदद्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतदद्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहियें।

ईट भट्टों के उद्योग में पीस रेट न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	श्रमिकों /कर्मचारियों के वर्ग	कार्य की मात्रा	पीस रेट न्यूनतम मजदूरी (रूपये में)
1	पथेर (कच्ची ईट की थपाई)	1000 ईट प्रति व्यक्ति	283/–
2	भराई वाला	1000 ईट प्रति व्यक्ति	155/–
3	निकासी वाला	1000 ईट प्रति व्यक्ति	173/–
4	पक्की ईट की लोडिंग	1000 ईट प्रति व्यक्ति	116/–
5	गद्ठी बंद कराई	प्रति गद्ठी प्रति व्यक्ति	127/–
6	जलाई वाला	–	283/– प्रति दिन
7	जलाई मिस्त्री	–	8658/–प्रति माह
8	सफाई प्रति गेड	–	259/– प्रति दिन
9	बैलदार/रापस्या	–	259/– प्रति दिन
10	पाणतिया	–	271/– प्रति दिन
11	जमादार	–	283/– प्रति दिन

टिप्पणियाः—

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
4. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घंटे प्रतिदिन) से अधिक कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय **(overtime)** कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
5. **(क) अकुशल** (unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं, सम्मिलित है।

   (ख) अर्द्धकुशल (semi-skilled)कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी सम्मिलित है।

   (ग) कुशल (skilled)कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(Consumer Price Index)** दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 171 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरे दिनांक 01.07.2021 से लागू होगी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या–8986/2021 में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित होने के क्रम में आवश्यकतानुसार पृथक से समीक्षा/पुनरीक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अनि./श्रम /आई.आर./2000/पार्ट/2893-2937 जयपुर, दिनांक : 2/2/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतू।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या– 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम /आई.आर./2000/पार्ट/3030 जयपुर, दिनांक : 2/2/2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में "घरों में नियोजित श्रमिक (Domestic worker)"के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र. सं.	नियोजन की प्रकृति	श्रमिकों के कार्य के घण्टे/अवधि (जिस घर में अधिकतम 4 सदस्य रह रहे हो)	प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपये में)
1	बर्तन धोने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	920.00
2	कपडे धोने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	920.00
3	कपडे धोना–बर्तन धोना	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	920.00
4	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	920.00
5	अन्य घरेलू कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	920.00
6	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ–सफाई, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल छोडना व लेकर आना इत्यादि घरेलू कार्य	एक दिन का कार्य	7358.00

टिप्पणियां:-

1. यदि अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लेखित कार्य की अवधि 60 मिनिट से अधिक है तो देय मजदूरी की गणना उसकी अनुपात में बढ़ जाएगी।
2. एक दिन के कार्य से तात्पर्य अधिकतम 8 घण्टे तक कार्य होगा। अधिसमय (ओवरटाईम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी की दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
3. यदि परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा है तो अनुसूचि में दी गई दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होगी परन्तु कार्य की अवधि वही रहेगी।
4. उक्त उल्लेखित दरें न्यूनतम हैं, यदि पहले से दी जा रही मजदूरी अनुसूची में दी गई मजदूरी की दरों से ज्यादा हैं तो पहले से ही दी जा रही दरें ही प्रचलित रहेगी।
5. यदि कोई श्रमिक पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता हैं तो दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।
6. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(Consumer Price Index)** दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 171 अंक है।
7. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.07.2021 से लागू होगी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या-8986/2021 में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित होने के क्रम में आवश्यकतानुसार पृथक से समीक्षा/पुनरीक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम /आई.आर./2000/पार्ट/3031-3075 जयपुर, दिनांक : 2/2/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्दीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।

6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या– 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.(5)(6)न्यू.म.अधि/श्रम/IR/2000/पार्ट/23926 जयपुर,दिनांक 31-08-2023

अधिसूचना

चूँकिराज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

अनुसूची "भाग-1"

क्र.सं	**अनुसूचित नियोजनों के नाम**
1	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3	ऑटोमोबाईल वर्कशॉप
4	कॉटनडाईंग-, प्रिन्टिंग तथा वाशिंगफैक्ट्रीज
5	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों मेंनियोजन
7	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8	पावरलूम फैक्ट्रीज
9	प्रिंटिंग प्रेस
10	सिनेमा इण्डस्ट्रीज
11	तेल मिल (ऑयल मिल)
12	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13	वूल क्लिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14	हैण्डलूम उद्योग
15	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपानके नियोजन
16	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन

20	अभ्रक कर्मान्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल मेंनियोजन
22	सड़को के संन्निर्माणया अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं मेंनियोजन
23	सरकारी कार्यालयों में कंटिंजेन्सी एण्डवर्क्स आकस्मिक जिसमें निगम तथा मण्डलों में (नियुक्तश्रमिक/कामगार भी शामिल है)
24	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति सेसंबंधित नियोजन
25	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेंनियोजित श्रमिक/कामगार
26	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजितश्रमिक/कामगार
28	जट पट्टी उद्योग
29	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
30	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
31	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स जो(सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न होमें) नियोजन।
32	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
33	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योगमें नियोजन
34	कोल्ड ड्रिंक्स, सोड़ा एवं अलाइड प्रोडक्ट्सकी मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
35	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
36	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं मेंनियोजन
37	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखानेजो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन मेंसम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
38	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन
39	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेजइण्डस्ट्रीज में नियोजन
40	एल.पी.जी. वितरण एवं सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन
41	मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स कोऑपरेटिव-सोसायटीज में नियोजन
42	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंगउद्योग में नियोजन
43	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवंफार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन
44	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं मेंनियोजन
45	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ. एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनोंमें सम्मिलित नहीं है
47	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग मेंनियोजन
48	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंगऐजेन्सीज में नियोजन
49	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के)में नियोजन
50	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग मेंनियोजन
51	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग मेंनियोजन

अनुसूची "भाग-II"

क्र.सं	अनुसूचित नियोजनों के नाम
52	**<u>(कृषि में नियोजन)-</u>** किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, पशुधन पालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ-साथ की गई क्रियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनुसूची भाग-। एवं ।। में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों /कर्मचारी का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरे (रूपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
अकुशल -बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर, फर्राश, धोबी, भिश्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, साईकिल सवार, निर्वाहक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रोली फिलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफ्टर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जींगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईंगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्कर्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रोलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर-क्लीनर, कोलमैन, क्रेटमैन, गेटकीपर, कुक कैरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिऑन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, क्लीनर - होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100-100 घटाकर वेतन देय होगा। (अन्य कोई	7410/-	285/-

भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)		
2.**अर्द्धकुशल -** मुंशी, भू मापक, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर्स, सहायक पेन्टर्स, वे-मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्मकार, अस्सिटेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिटेन्ट फिटर, अस्सिटेन्ट कारपेन्टर, अस्सिटेन्ट टर्नर, अस्सिटेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिटेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिटेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिटेन्ट स्क्रीन प्रिन्टर, वर्क्स एंगेज्ड ऑन हैण्डिलिग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिटेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईंगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राईडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गैट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाईण्डिग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाईजर), कोल्हूमैन, फिटरमैन, फायरमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पैट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउधर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईंग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्बलिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोजर्र, वेटमैन, सिल्कमैन, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज ओर कटर्स, स्वीपर (गटर सफाई वाला) तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)	7722/-	297/-
3. **कुशल -** मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नरर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रेक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिट्टी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्तितक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इक्विप्मेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य,	8034/-	309/-

ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेण्डेण्ट, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डक्टर्स, ड्राइवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेट्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स ऑफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर, ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाईजर, मशीन फिटर, टर्नर, प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, विलोरूम जोबर, बिल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, कुक, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्फेक्शनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीवेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, अस्सिटेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाईजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर-लाईनो/मोनो, डाई प्रिन्टर, कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर,डाईंग मास्टर, कन्टेनर मैन, फोरमैन,कार्डिग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस-ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्लर, स्क्रिन प्रिन्टिग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फेल्ट मास्टर कुशिंग एण्ड पिग्मेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर, जूनियर टैक्नीकल असिसटेंट तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो कुशल कार्य करते हो)		
4 **<u>उच्च कुशल (Highly Skilled).</u>**स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाईजर, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, लैब टेक्निशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, ई.सी.जी. टेक्निशियन, रेडियोग्राफर मैन पॉवर, फार्मेसिस्ट, सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट, कुक,मेल/फिमेल, नर्स तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल	9334/-	359/-

कार्य करता हो)		

टिप्पणियॉं:-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवरएवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index)दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
9. पार्ट टाईम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिषत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।

10. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-

(धर्मपालसिंह)
अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.(5)(6)न्यू.म.अधि/श्रम/IR/2000/पार्ट/23927-23961 जयपुर,दिनांक 31-08-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशनहेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना बोयलर्स एंव ईएसआई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रमविभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागिय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त). . . . .
11. उप निदेशक (एसीपी) आई.टी.सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 मे उल्लेखित विभाग से प्रकाशन करवाने की कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र करावे।

ह0/-

अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/आईआर/2000/पार्ट/23962 जयपुर,दिनांक 31-08-2023

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ''ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम-रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं'' (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोडकर) के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।
इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.00	भवननिर्माण		
1.01	नीव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटरउठान तथा 50 मीटर तक फैंकना		
	(अ) साधारण मिट्टी	2.00 घ.मी .	285.00
	(ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में	1.61 घ.मी .	285.00
	(स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90	1.07 घ.मी .	285.00
1.02	अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए	12.50 घ.मी .	285.00
1.03	अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	4.00 घ.मी .	285.00
1.04	नींव में धाडला, कंकर या झाझाराडालना तथा कुटाई करना	4.00 घ.मी .	285.00
1.05	नींव में खड़ी ईंटें डाईगोनलहैरिंग बोन्ड पैटर्न में गारा	5.00 घ.मी .	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	मिट्टीमें लगाना		
1.06	नींव में चूने कांक्रीट 40 मि.मि; नापीय माप की पत्थर की मिट्टी/ईंट की मिट्टी के साथ डालना कुटाई करना	0.38 घ.मी .	285.00
1.07	नींव में सीमेंट कंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की पत्थर की गिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.47 घ.मी .	285.00
1.08	नींव में गारा मिट्टी कोकंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की गिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.71 घ.मी .	285.00
1.09	नींव व कुर्सी में ईंटों कीचिनाई गारा मसाले में	1.00 घ.मी .	285.00
1.10	नींव व कुर्सी में ईंटों कीचिनाई चूना-मसाले में	1.00 घ.मी .	285.00
1.11	नींव व कुर्सी में ईंटों कीचिनाई सीमेंटमसाले में-	1.00 घ.मी .	285.00
1.12	अतिरिक्त ईंट की चिनाई अधिरचनामें	3.23 घ.मी .	285.00
1.13	ईटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में	5.00 घ.मी .	285.00
1.14	नींव में पत्थर की बेरदा ढोकाचिनाई गारा/चूना/सीमेंट मसाले में	0.71 घ.मी .	285.00
1.15	अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु	2.86 घ.मी .	285.00
1.16	रद्दा कतार ढोका चिनाई मेंअतिरिक्त श्रम	6.25 व.मी.	285.00
1.17	पत्थर के सिरदल चढाना, लगाना	3.00व.मी.	285.00
1.18	पत्थर के रफ तरासी दहल, दासातथा कोपिंग मसाल में लगाना	1.59व.मी.	285.00
1.19	पत्थर के टांड, ताक लगाना	7.69व.मी.	285.00
1.20	पत्थर के छज्जे लगाना	3.81व.मी.	285.00
1.21	पत्थर की पट्टियों की छत डालनातथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में	10.00व.मी.	285.00
1.22	पट्टियों की छत पर ईंट गाराखडंजा लगाना 100 मिमी मोटाई में डालना	1.18व.मी.	285.00
1.23	पक्के ईंट के टुकड़े या पत्थर केपच्चड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में भंवरिया डालना	9.09व.मी.	285.00
1.24	छत के ऊपर खड़ी ईंट का वर्गाकारखडंजा मसाले में लगाना	5.56व.मी.	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.25	90 मि.मी. औसत मोटा चूने का दड़डालना, थप्पी देना, कूटना आदि	2.86व.मी.	285.00
1.26	सीमेंट कांक्रीट दड स्टील केसाथ	2.78व.मी.	285.00
1.27	आर.सी.सी. कार्य में सीमेन्ट कंक्रीट डालना	0.4व.मी.	285.00
1.28	सैंन्टरिंग, शटरिंग	6.66व.मी.	285.00
1.29	आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर लगाना, बांधना आदि	100.00 कि.ग्रा.	285.00
1.30	लोहे की इस्पात चद्दरों की छतडालना	12.27व.मी.	285.00
1.31	एस्बेस्ट्स/पी.वी.सी. की छत डालना	23.00व.मी.	285.00
1.32	एक्सपो नालीदार चादर की छतडालना	22.50व.मी.	285.00
1.32	लोहे के गर्डर को काटना, चढाना, लगाना	66.73 व.मी.	285.00
1.34	3 मी. पटाव वाली कड़ियों तथा पहिले से बनी फेरो सीमेंट स्लेब से छत डालना	1.35व.मी.	285.00
1.35	जेक डाट की छत पूर्ण कार्य	2.13 घ.मी .	285.00
1.36	फर्श के नीचे सूखे पत्थरों काखडंजा लगाना	3.33 घ.मी .	285.00
1.37	फर्श में चूना कांक्रीट डालना	0.56 घ.मी .	285.00
1.38	फर्श के नीचे सीमेंट कांक्रीटडालना	0.61 घ.मी .	285.00
1.39	50मि.मी.मोटी सीमेंट कांक्रीट फर्श का कार्य	4.35व.मी.	285.00
1.40	कोटा स्टोन को मसाले के ऊपरलगाना	5.00 व.मी.	285.00
1.41	मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कंक्रीट सहित	5.00 व.मी.	285.00
1.42	मार्बल का फर्श लगाना घिसाईसहित	3.13 व.मी.	285.00
1.43	मार्बल/कोटा स्टोन की स्कटिंग लगाना घिसाई सहित	4.00 व.मी.	285.00
1.44	चूना प्लास्टर25एम.एम. मोटाई	6.25 व.मी.	285.00
1.45	सीमेंट प्लास्टर25एम.एम. मोटाई	7.69 व.मी.	285.00
1.46	सीमेंट प्लास्टर छत पर करने केलिए अतिरिक्त	16.67 व.मी.	285.00
1.47	टीप का कार्य सीमेंट मसाले में	12.50 व.मी.	285.00
1.48	सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर)	50.00 व.मी.	285.00
1.49	इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर)	18.52 व.मी.	285.00
1.50	दरवाजों/खिड़कियों को लगाना (स्टील के)	4.00 व.मी.	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.51	सीमेन्ट-कंकरीट की जाली लगाना	3.60 व.मी.	285.00
1.52	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	100.00 व.मी.	285.00
1.53	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियों, 30सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	80.00 व.मी.	285.00
1.54	एस्बेस्ट्स सीमेंट के पाईपलगाना	16.67 मी.	285.00
	<u>सड़क कार्य</u>		285.00
1.55	पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तनों व शाखाओं को काटना तथा चट्टालगाना, गड्डा ठीक करना		285.00
	(1)150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	2.00पेड़	285.00
	(2)300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	1.00पेड़	285.00
	(3)600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.57पेड़	285.00
	(4)900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.40 पेड़	285.00
	(5)1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले	0.29 पेड़	285.00
	(6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले	0.20 पेड़	285.00
1.56	मिट्टी का कार्य कटाई में1.5मीटर उठान कर50मीटर तक निष्पादन, डागवेल लगाना, होदा मं केम्बर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथादरेसी करना		
	(1)साधारणमिट्टी	4.00 घ.मी .	285.00
	(2)सख्तचिकनी-मिट्टी में	2.50 घ.मी .	285.00
	(3)कंकरमिट्टी में	1.82 घ.मी .	285.00
	(4)मुलायमचट्टान	1.11 घ.मी .	285.00
1.57	विस्फोट किये हुये चट्टान सेपत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना	0.71 घ.मी .	285.00
1.58	पत्थरों को निम्न नापीय माप मेंतोड़ना		285.00
	(1) 80 मि.मी. नापीय माप के	3.03 घ.मी .	285.00
	(2) 63 मि.मी. नापीय माप के	2.63 घ.मी .	285.00
	(3) 40 मि.मी. नापीय माप के	1.00 घ.मी .	285.00
	(4) 20 मि.मी. नापीय माप के	0.80 घ.मी .	285.00
	(5) 12 मि.मी. नापीय माप के	0.50 घ.मी .	285.00
	(6) 10 मि.मी. नापीय माप के	0.40 घ.मी .	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.59	झामा ईंटों को निम्न नापीय मापमें तोड़ना		
	(1) 63 मि.मी. नापीय माप में	2.00 घ.मी .	285.00
	(2) 40 मि.मी. नापीय माप में	1.51 घ.मी .	285.00
	(3) 20 मि.मी. नापीय माप में	0.91 घ.मी .	285.00
	(4) 10 मि.मी. नापीय माप में	0.80 घ.मी .	285.00
1.60	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढाना	5.00 घ.मी .	285.00
1.61	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना	7.14 घ.मी .	285.00
1.62	सामग्री का केवल चट्टा लगाना	15.97 घ.मी .	285.00
1.63	मिट्टी का कार्य, भराई में सडकके किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी.तक ले जाना, डले तोड़नातथा 2 से.मी. परतों में बिछाना समतल कर केम्बर व ग्रेड बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	3.45 घ.मी .	285.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	2.27 घ.मी .	285.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.69 घ.मी .	285.00
1.64	सड़क निश्चित केम्बर, ग्रेड मेंग्रेवल, कंकर, क्वेरी रिबश तथा कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. से कम मोटाई मेंबिछाना व फैलाना	3.33 घ.मी .	285.00
1.65	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर-ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईडिंग मेटेरियलडालना (रोलर से कुटाई के अलावा)	1.72 घ.मी .	285.00
1.66	बेरद्वा ढोका 23 से.मी. उंचाईमें, खडंजा लगाना, मिट्टी जोड़ो में भरना, खडंजे के होदा में से निकली अतिरिक्तमिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना ।	3.33 व.मी.	285.00
	बिना मसाले के सूखासीमेन्ट/बजरी	3.13 व.मी.	285.00
1.67	किनारों पर खड़ी ईंटों का खडंजा, जोड़ों में मिट्टी भरना	4.03 घ.मी .	285.00
1.68	सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिएकंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने सहित (कम्पन मशीन चलाने के अतिरिक्त),	0.61 घ.मी .	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु		
	सामाजिक वानिकी		
1.69	1.50x0.90x1.2 मीटर माप कीखड्डा बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.)	1.23 खड्डेबाड़	285.00
	(2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.)	1.0 खड्डेबाड़	285.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	0.66 खड्डेबाड़	285.00
1.70	डोला फेन्सिंग जिसमें नीचे काआधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. और उंचाई1.2 मीटर हो		
	(1) साधारण मिट्टी में	5.00 मी.	285.00
	(2) सख्त मिट्टी में	3.33 मी.	285.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	2.50 मी.	285.00
1.71	उपलब्धपत्थर से सूखी चिनाई कर फेंसिंग दीवार बनाना	1.43 घ.मी.	285.00
1.72	45x45x45से.मी.माप केगड्डे करना		
	(1) साधारण मिट्टी में	22.00गड्डे	285.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	20.00गड्डे	285.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	10.00गड्डे	285.00
1.73	पौधा रोपण करना		
	(1) सामान्य जमीन में	45.00पौधा	285.00
	(2) पथरीली जमीन में	37.00पौधा	285.00
1.74	बीज बुवाई बनाये गये रिज पर	227.00पौधा	285.00
1.75	पौधों को पानी पिलाना	77.00पौधा	285.00
1.76	पौधों की निडाईगुडाई-	111.00पौधा	285.00
1.77	थांवलाबनाना		
	(1) सामान्य जमीन में	77.00नग	285.00
	(2) पथरीली जमीन में	56.00नग	285.00
1.78	उडते हुए रेत टीलों पर 50 मी.दूरी तक से सनिया छीप उखाड कर लाना और मलचिंग करना	18.00 मी.	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	सिंचाई		
1.79	मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. परत में डालना, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलरसे मिट्टी दबाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	2.10 घ.मी .	285.00
	(2) कठोर मिट्टी में	1.90 घ.मी .	285.00
1.80	सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिट्टी पत्थर की 40 मि.मी. नापीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा)	0.61 घ.मी .	285.00
1.81	15 से 30 से.मी. मोटे हथोड़े सेतरासे हुए पत्थर से पिचिंग	2.00 घ.मी .	285.00
1.82	फिल्टर टो में परतों में धुलीमोटी बजरी डालना चाहे गए प्रोफाइल में	1.52 घ.मी .	285.00
1.83	फिल्टर टो में परतों में धुलेहुए बेलास्ट-ग्रेवल को चाहे गए प्रोफाईल में	2.00 घ.मी .	285.00
	<u>स्वच्छता</u> जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना		
1.84	मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्यमय फिटिंग	2.00नग	285.00
1.85	हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्यमय फिटिंग	3.33नग	285.00
1.86	जस्ती लोहे के पाईप मय फिटिंग, झिरी काटने सहित	3.33नग	285.00
	(1) 15 मि.मी. व्यास	28.57 मी.	285.00
	(2) 25 मि.मी. व्यास	22.22 मी.	285.00
1.87	पाषाण भाण्ड(एस.डब्ल्यू.) पाईप काडालना, जोड़ों में 1:1 का मसाला भरना, टे्न्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्डे को।	6.67 मी.	285.00
1.88	चाइना क्ले की चमकीली टाईललगाना	6.67 व.मी.	285.00
1.89	आरसीसी का कुएं के लिए कर्वतैयार करना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं केलिए	3.57कर्व	285.00
	(2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं केलिए	2.27कर्व	285.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं केलिए	1.61कर्व	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.14कर्व	285.00
1.90	आर.सी.सी.के (रिंग) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना		285.00
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं केलिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. मोटी)	12.50रिंग	285.00
	(2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं केलिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	10.00रिंग	285.00
	(3) 1.50मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	6.67रिंग	285.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	5.00रिंग	285.00

टिप्पणियां:-

1. इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
4. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवरएवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index)दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
5. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-

(धर्मपालसिंह)

अति0 श्रम आयुक्त एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.(5)(6)न्यू.म.अधि/श्रम/IR/2000/पार्ट/23963-24096 जयपुर,दिनांक 31-08-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशनहेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना बोयलर्स एंव ईएसआई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रमविभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागिय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त). . . . .
11. उप निदेशक (एसीपी) आई.टी.सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 मे उल्लेखित विभाग से प्रकाशन करवाने की कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र करावे।

ह0/-

अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक एफ 5(6)न्यू.म./श्रम/आईआर/2000/पार्ट/24143 जयपुर,दिनांक 31-08-2023

<u>अधिसूचना</u>

चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में <u>'' विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976</u>में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन'' के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतदद्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतदद्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।
इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दर (रूपये में)
1	विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन	**<u>उच्च कुशलः-</u>** विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (एम.आर.)	359/-रूपये प्रतिदिन या 9334/-रूपये प्रतिमाह

टिप्पणियॉ-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।

5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।

6. उच्च कुशल **(Highly Skilled)** कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षो के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यो के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।

7. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवरएवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index)दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।

8. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-

(धर्मपालसिंह)
अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.(5)(6)न्यू.म.अधि/श्रम/IR/2000/पार्ट/24144-24187 जयपुर,दिनांक 31-08-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशनहेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना बोयलर्स एंव ईएसआई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

9. संयुक्त शासन सचिव, श्रमविभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागिय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त). . . . .
11. उप निदेशक (एसीपी) आई.टी.सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 मे उल्लेखित विभाग से प्रकाशन करवाने की कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र करावे।

ह0/-

अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/ 2000/पार्ट/24097 जयपुर, दिनांकः 31-08-2023

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में "ईट भट्टों के उधोग में नियोजन"के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्‌द्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतदद्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

ईंट भट्टों के उद्योग में पीस रेट न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	श्रमिकों/ कर्मचारियोंके वर्ग	कार्य की मात्रा	पीस रेट न्यूनतम मजदूरी(रुपयेमें)
1	पथेर (कच्ची ईंट की थपाई)	1000 ईंट प्रति व्यक्ति	309/-
2	भराईवाला	1000 ईंट प्रति व्यक्ति	181/-
3	निकासीवाला	1000 ईंट प्रति व्यक्ति	199/-
4	पक्की ईंट की लोडिंग	1000 ईंट प्रति व्यक्ति	142/-
5	गड्डी बंद कराई	प्रति गड्डी प्रति व्यक्ति	153/-
6	जलाई वाला		309/- प्रतिदिन
7	जलाईमिस्त्री		9334/-प्रतिदिन
8	सफाई प्रति गेड		285/-प्रतिदिन
9	बैलदार / राप्सया		285/-प्रतिदिन
10	पाणतिया		297/-प्रतिदिन
11	जमादार		309/-प्रतिदिन

टिप्पणियाः-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।

2. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
4. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घंटे प्रतिदिन) से अधिक कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
5. (क) अकुशल (Unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं, सम्मिलित है।

   (ख) अर्द्धकुशल (Semi skilled) वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी सम्मिलित है।

   (ग) कुशल (Skilled) वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवरएवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index)दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-

(धर्मपालसिंह)
अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.(5)(6)न्यू.म.अधि/श्रम/IR/2000/पार्ट/24098-24142 जयपुर,दिनांक 31-08-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-
1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशनहेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।

4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना बोयलर्स एंव ईएसआई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रमविभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागिय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त). . . . .
11. उप निदेशक (एसीपी) आई.टी.सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 मे उल्लेखित विभाग से प्रकाशन करवाने की कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र करावे।

ह0/-

अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/आईआर/2000/पार्ट/24188 जयपुर, दिनांकः 31-08-2023

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में **"घरों में नियोजित श्रमिक"**(Domestic worker)के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतदद्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतदद्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।
इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	नियोजन की प्रकृति	श्रमिकों के कार्य के घण्टे/अवधि (जिस घर में अधिकतम 4 सदस्य रह रहे हो)	प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपये में)
1	बर्तन धोने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	**923.00**
2	कपडे धाने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	**923.00**
3	कपडे धोना-बर्तन धोना	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	**923.00**
4	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	**923.00**
5	अन्य घरेलू कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	**923.00**
6	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ-सफाई, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल छोडना व लेकर आना इत्यादि घरेलू कार्य	एक दिन का कार्य	**8034.00**

टिप्पणियां-

1. यदि अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लेखित कार्य की अवधि 60 मिनिट से अधिक हैं तो देय मजदूरी की गणना उसकी अनुपात में बढ जाएगी।
2. एक दिन के कार्य से तात्पर्य अधिकतम 8 घण्टे तक कार्य होगा। अधिसमय (ओवरटाईम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी की दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
3. यदि परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा हैं। तो अनुसूचि में दी गई दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होगी परन्तु कार्य की अवधि वही रहेगी।
4. उक्त उल्लेखित दरें न्यूनतम हैं, यदि पहले से दी जा रही मजदूरी अनुसूची में दी गई मजदूरी की दरों से ज्यादा हैं तो पहले से ही दी जा रही दरें ही प्रचलित रहेगी।
5. यदि कोई श्रमिक पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता हैं तो दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावगी।
6. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index)दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
7. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-

(धर्मपालसिंह)

अति0 श्रम आयुक्त एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.(5)(6)न्यू.म.अधि/श्रम/IR/2000/पार्ट/24189-24232 जयपुर,दिनांक 31-08-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशनहेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना बोयलर्स एंव ईएसआई विभाग, राजस्थान, जयपुर।

7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रमविभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागिय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त). . . . .
11. उप निदेशक (एसीपी) आई.टी.सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 मे उल्लेखित विभाग से प्रकाशन करवाने की कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र करावे।

ह0/-

अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 22, सोमवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 14, *2024* *Asvina 22, Monday, Saka 1946- October 14, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 2024

संख्या एफ.8(1)(वीडीए)/न्यू.म./श्रम/2000 :-राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (6) श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के द्वारा की गई थी।

चूंकि अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2000 में यह तय किया गया था कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2003 (1960=100) (माह जनवरी, 1999 से जून, 1999 के औसत) को आधार मानते हुए इसके ऊपर देय होगा। इस प्रकार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना प्रति वर्ष विगत माह जुलाई से जून के औसत सूचकांक (जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी) के आधार पर देय होगा।

चूंकि श्रम ब्यूरों द्वारा आधार वर्ष 2016=100 के सूचकांक को 1960=100 के आधार वर्ष से तुलनात्मक बनाते हुए नई श्रंखला जारी होने से पूर्व नई एवं पुरानी श्रंखला के 12 महीनों के सभी केन्द्रों के औसत सूचकांक का औसत लेकर उनके अनुपात के आधार पर राज्य के जयपुर, अलवर व भीलवाडा केन्द्रो के लिए एक लिकिंग फैक्टर 62.89 सूचित किया है।

चूंकि श्रम आयुक्त, राजस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11 सन् 1948) की अधिसूचना क्रमांक एफ.8 (1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/ 2000/पार्ट-1/Rajkaj 10433465 दिनांक 19.09.2024 के अनुसार जुलाई, 2023 से जून, 2024 के 12 महीनों की अवधि में जयपुर, अलवर व भीलवाडा केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का औसत 8078 (1960=100) रहा है और इस प्रकार श्रम ब्यूरो, शिमला के जयपुर, अलवर एवम भीलवाडा केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 8060 (1960=100) (माह जुलाई, 2022 से जून, 2023 के आंकडों के औसत) के ऊपर जुलाई, 2023 से जून, 2024 की अवधि में (8078-8060=18 पॉइन्ट) 18 बिन्दुओं की बढ़ोतरी हुई है।

अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.5 (6) श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 एवं एस.ओ. 77 दिनांक 24.5.2008 के द्वारा जारी निर्देश एवं मान (वैल्यू) के क्रम में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11 सन् 1948) की धारा 2 खण्ड (ग) एवं (घ) सपठित धारा 4 की उपधारा (2) की अनुपालना में जारी अधिसूचनाएं क्रमांक एफ.1 (8) वीडीए /न्यू.म./श्रम/2000/12526दिनांक 26.9.2000 एवं क्रमांक एफ.8 (1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/Rajkaj 10433465 दिनांक 19.09.2024 के अनुसरण में किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन में नियोजित कामगारों हेतु दिनांक 1अक्टूबर, 2024 से 30 सितम्बर, 2025 तक के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा:-

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (रू0. में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें	कुल मजदूरी
1	2	3	4	5	6
1.	किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन	1. सभी प्रकार की बीड़ी रोलिंग का कार्य	रू0 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 86.09 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 158.77 प्रति एक हजार बीड़ी
		2. बंडल रेपिंग एवं पैकिंग	रू0 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 86.09प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 158.77 प्रति एक हजार बीड़ी
		3. बीड़ी सोटर्स एवं चैकर्स (पूरे समय का श्रमिक एवं क्लर्क्स)	रू0 2648.76 प्रति माह	रू0 5975 प्रति माह	रू0 8623.76 प्रतिमाह
		4. सनफ पैकिंग	रू0 2254.89 प्रतिमाह	रू0 5975 प्रतिमाह	रू0 8229.89 प्रतिमाह
		5. अन्य श्रमिक-तम्बाकू मिक्स, तम्बाकू सोटर्स भट्टे वाला तथा पल्लेदार	रू0 2106 प्रतिमाह	रू0 5957 प्रतिमाह	रू0 8081 प्रतिमाह

		6. चौकीदार, वाचमैन	रू0 2167.90 प्रतिमाह	रू0 5975प्रतिमाह	रू0 8142.90प्रति माह

स्पष्टीकरण

1. उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) श्रम/86 दिनांक25 जनवरी, 2000 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
2. स्तम्भ संख्या 3 क्रम संख्या 1 एवं 2 के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना डेढ़ पैसा प्रति बिन्दु जुलाई, 2023 से जून, 2024 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (18 अंक) केआधारपर डेढ़ पैसा प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी (रोलिंग/बंडल रैपिंग एवं पैकिंग) के मान से की गईहै।(अधिसूचना24.5.2008 के अनुसार)
3. स्तम्भ 3 के क्रम में संख्या 3 से 6 वर्ग के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना माह जुलाई, 2023 से जून, 2024 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (18 अंक) के आधार पर एक रूपयाप्रति बिन्दू प्रति माह के मान से की गई है। गणना रूपये के निकटतम मूल्य के अनुसार की गई है।
4. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत कुल मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।
5. दैनिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना मासिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 26 का भाग देकर की जावेगी।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
7. ये वी.डी.ए. दरें 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

करणसिंह,

श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी,

अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

सत्यमेव जयते	**राजस्थान राजपत्र** **विशेषांक**	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	आश्विन 15, सोमवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 07, *2024* *Asvina 15, Monday, Saka 1946- October 07, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 2024

संख्या एफ.8(1)(वीडीए)/न्यू.म./श्रम/2000 :-चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले सस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरे एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा की गई थी।

चूंकि अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर, 1999 में यह तय किया गया था कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचंकांक 2003 (1960=100) (माह जनवरी, 1999 से जून, 1999 के औसत) को आधार मानते हुए इसके ऊपर देय होगा। इस प्रकार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना प्रति वर्ष विगत माह जुलाई से जून के औसत सूचकांक (जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी)के आधार पर देय होगा।

चूंकि श्रम ब्यूरों द्वारा आधार वर्ष 2016=100 के सूचकांक को 1960=100 के आधार वर्ष से तुलनात्मक बनाते हुए नई श्रंखला जारी होने से पूर्व नई एवं पुरानी श्रंखला के 12 महीनों के सभी केन्द्रों के औसत सूचकांक का औसत लेकर उनके अनुपात के आधार पर राज्य के जयपुर, अलवर व भीलवाडा केन्द्रो के लिए एक लिंकिंग फैक्टर 62.89 सूचित किया है।

चूंकि श्रम आयुक्त, राजस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11सन् 1948) की अधिसूचना क्रमांकएफ.8 (1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/ 2000/पार्ट-1/Rajkaj 10433465दिनांक19.09.2024 के अनुसार जुलाई, 2023 से जून, 2024 के 12 महीनों की अवधि में जयपुर, अलवर एव भीलवाडा केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का औसत 8078 (1960=100) रहा है और इस प्रकार पूर्व में श्रम ब्यूरो शिमला के जयपुर, अलवर एवम भीलवाडा केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 8060 (1960=100) (माह जुलाई, 2022 से जून, 2023

के आंकडों के औसत) के ऊपर जुलाई, 2023 से जून, 2024 की अवधि में (8078-8060=18पॉइन्ट) 18 बिन्दुओं की बढ़ोतरी हुई है।

अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा निर्धारित मान एवं निर्देशों के क्रम में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11 सन् 1948) की धारा 2 खण्ड (ग) एवं (घ)सपठित धारा4 की उपधारा (2) की अनुपालना में जारी अधिसूचना क्रमांकएफ.8 (1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/ 2000/पार्ट-1/Rajkaj 10433465दिनांक19.09.2024के अनुसरण में किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले संस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजित कामगारों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2024से 30 सितम्बर, 2025तक के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा:-

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग		न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (प्रति माह/ प्रति दिन रू0 में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें (प्रति माह/प्रति दिन रू0 में)	कुल मजदूरी (प्रति माह/ प्रति दिन रू0 में)
1.	पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर)	1. क	**<u>अकुशल कामगार</u>** बेलदार, वर्ककीपर, जलधारी, क्रेच अटेन्डेन्ट, स्वीपर, पत्थर ढ़ोने वाला	रू0 2106/- प्रति माह	रू0 5975/- प्रतिमाह	रू0 8081/- प्रतिमाह
		ख	मददगार, जरीबी	रू0 2137.25 प्रतिमाह	रू0 5975/- प्रतिमाह	रू0 8112.25 प्रतिमाह
		ग	चौकीदार, जमादार (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो परन्तु जो अकुशल कार्य करते हो)	रू0 2167.90 प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8142.90 प्रतिमाह
		2.	**अर्द्धकुशल कामगार**मुंशी, भू-सर्वेक्षक, मेट (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु	रू0 2255/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8230/- प्रतिमाह

			जो अर्द्धकुशल कार्य करते हो)			
		3. क	**कुशल कामगार** मिस्त्री, बढ़ई, जलाईदार, लुहार, यंत्रक, फिटर्स, लाईनमैन, बिजली वाला, वाशमेन	रू0 2383/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8358/- प्रतिमाह
		ख	मोटरगाडियों के ड्राईवर, 10 अश्वशक्ति मशीनों के ड्राईवर	रू0 2656/ प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8631/- प्रतिमाह
		ग	यांत्रिक, आन्धिक, विस्फोटकर्ता, पत्थर चलित चालक	रू0 2656/- प्रतिमाह	रू 5975/- प्रतिमाह	रू0 8631/- प्रतिमाह
2.	ग्लास एवं चाईनावेयर	1.	अकुशल कामगार	रू0 2106/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8081/- प्रतिमाह
		2.	अर्द्धकुशल कामगार	रू0 2255/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8230/- प्रतिमाह
		3.	कुशल कामगार	रू0 2383/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8358/- प्रतिमाह
3.	नमक उद्योग	क	**निर्माण कार्य (मैन्यूफैक्चरिंग)-** क्यारियों का समतल करना, धुलाई, सफाई, रेस्टा फैलाना, नील हटाना, तारी तोड़ना, नालियों की सफाई आदि घाटी से चिकनी मिट्टी हटाना, क्यारियों का पुनर्भरण	रू0 2106/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8081/- प्रतिमाह
		ख	निकासी एवं भण्डारण			
		1.	ढेर लगाना, ढुलाई तथा ट्रकों में लदाई जहां से कार्य एक ही कामगार टोली द्वारा किया जावे	रू0 33.55 प्रति 104.25क्यू. मीटर्स	रू5975/- प्रतिमाह या 230.11प्रतिदिन	-

			(100 क्यूबिक फीट)			
		2.	ढेर लगाना ,ढुलाई या बोरी	रू0 2106/- प्रतिमाह	रू5975/- प्रतिमाह	रू0 8081/- प्रतिमाह
		ग	प्रेषण कार्य में ट्रकों में लदाई सम्मिलित रूप से अथवा अकेले			
		1.	कटाई एवं भराई	रू0 272.75 प्रति 156 बेग्स या145 क्विन्टल	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		2.	तुलाई एवं लदाई	रू0 435.63 प्रति 156 बेग्स या 145 क्विन्टल	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		3.	सिलाई	रू0 52.35/- प्रति156 बेग्स या 145 क्वि. के वेगन लोड परन्तु 60रू0 प्रतिदिन से कम नहीं होगा	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		घ	सामान्य			
		1.	पम्पिंग कामगार मिस्त्री	रू0 117.57 प्रतिदिन	रू0 230.11 प्रतिदिन	रू0 347.68 प्रतिदिन
		2.	अन्य प्रणाली या कार्य जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है।	रू0 81/- प्रतिदिन	रू0 230.11 प्रतिदिन	रू0 311.11 प्रतिदिन
		3.	बंधेवाल	रू0 327.41 प्रति मीट्रिक टन (2.75 व्यक्ति)	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-

4.	ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले सस्थान के नियोजन	1.	टाईम रेट मेन्यूअल ऑक्यूपेशनल मिनिमम टाइम रेट	रू0 2106/- प्रतिमाह या 81 रू0 प्रतिदिन	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	रू8081/- प्रतिमाह या रू0 311.11 प्रतिदिन
		2.	पीस रेट ऑक्यूपेशन			
		क	यार्न ओपनर मिल स्पून 40 काउन्ट तक	रू0 4.05 प्रति किलो (हेण्ड स्पून 30 किलो तक) रू0 8.10प्रति किलो	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
			मिलस्पून 70 काउन्ट तक	रू 9.25 प्रतिकिलो	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
			मिलस्पून 70 काउन्ट से अधिक	रू0 10.38 प्रतिकिलो	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		अ	स्पिनर वूलस्पून	रू0 2329 प्रतिकिलो	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		ब	वाशरमैन	रू0 2678 प्रतिमाह	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	रू0 8653/- प्रतिमाह
		स	ड्राईवर	रू0 2663 प्रतिमाह	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	रू8638/- प्रतिमाह

		द 1.	वीयर प्लेन कारपेट (एकरंग) 40,000 नॉटस तक प्रति वर्गगज	रू0 141.72प्रति वर्ग मीटर	रू0 5975/- प्रतिमाह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		2.	40000 नॉटस से अधिक के नमूने दार गलीचे	रू0 144.57 प्रति वर्गमीटर	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		3.	15 रंगो वाले 30 हजार नॉटस तक	रू0 227.68 प्रति वर्गमीटर	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		4.	20 रंगों वाले 30 हजार नॉटस तक	रू0 275.33 प्रति वर्गमीटर	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		5.	20 रंगों से अधिक और 40 हजार नॉटस	रू0 428.83 प्रति वर्गमीटर	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		च	क्लीनर्स	रू0 2504 प्रति माह	रू0 5975/- प्रतिमाह	रू0 8479/- प्रतिमाह
			(4x4) नॉटस			
		छ	एम्बेजर्स	रू0 2752 प्रतिमाह	रू0 5975/- प्रतिमाह	रू0 8727 /- प्रतिमाह
		ज	कारपेट मिस्त्री	रू0 2541 प्रतिमाह	रू0 5975/- प्रतिमाह	रू0 8516/- प्रतिमाह
5.	पापड़ उद्योग	1.	1.6 इंच साईज तक के पापड प्रति सैकड़ा	रू0 15.11	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		2.	2.6 इंच से अधिक तथा 8 इंच तक के पापड़ प्रति	रू0 19.62	रू05975/- प्रति माह या रू0	-

			सैकड़ा		230.11 प्रतिदिन	
		3.	8 इंच से अधिक तथा 10 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रू0 22.60	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		4.	10 इंच से अधिक तथा 12 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रू0 30.19	रू0 5975/- प्रति माह या रू0 230.11 प्रतिदिन	-
		5.	पापड बेलने के कार्य के अतिरिक्त जो भी कर्मचारी इस नियोजन में नियोजित है उसे दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान में नियोजित कर्मचारी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार भुगतान देय होगा तथा वी.डी.ए. इस नियोजन के अन्य कामगारों के समान देय होगा।	-	-	-

स्पष्टीकरण

1. उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/ 86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
2. उक्त पांचों अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना जुलाई, 2023 से जून, 2024 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (18 अंक) एक रूपया प्रति बिन्दु प्रति माह के मान से की गई है। गणना रूपये के निकटतम मूल्य के अनुसार की गई है।
3. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत कुल मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।

4. दैनिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना मासिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 26 का भाग देकर की जावेगी।
5. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
6. ये वी.डी.ए. दरें 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

करणसिंह,
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी,
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Government of Rajasthan

Labour Department

No.St/CPI/Eng.Wage Board/75/Pt./ Jaipur, dated :

NOTIFICATION

Sub: Variable Dearness Allowance payable according to the Engineering Wage Board recommendations.

The new series of Consumer Price Index Number (Base 2016=100) for industrial workers has been introduced w.e.f. September, 2020 onwards and publication of old series of Index Numbers of Base 1949/1960/1982/2001 has been discontinued simultaneously.

As per recommendations of the Engineering Wage Board Variable Dearness Allowance is to be worked out on the basis of All India Consumer Price Index Numbers Base Year 1949=100. In absence of this series linking factor 2.88 worked out by Labour Bureau, Shimla between the 2001 and 2016, linking factor 4.63 between the 1982 and 2001, linking factor 4.93 between 1960 and 1982 and linking factor 1.2154 between 1949 and 1960 (already exist) have been taken into account to work out All India Consumer Price Index Numbers Base Year 1949=100 for period from **April, 2024 to September 2024**. The calculated Consumer Price Index Numbers are as under:-

Month/ Year	Consumer Price Index Base 2016 intimated by Labour Bureau.		Calculated Index Numbers			
		Using 2.88 linking factor between 2016 and 2001 (Col.2x2.88)	Using 4.63 linking factor between 2001 and 1982 (Col.3x4.63)	Using 4.93 linking factor between based 1982 and 1960 (Col.4x4.93)	Using 1.2154 linking factor between 1960 and 1949 (Col.5x1.2154)	Rounded off figure of col.6 for base 1949
1	2	3	4	5	6	7
April	139.4	401.47	1858.81	9163.91	11137.82	11138
May	139.9	402.91	1865.47	9196.78	11177.77	11178
June	141.4	407.23	1885.47	9295.39	11297.62	11298
July	142.7	410.97	1902.79	9380.76	11401.38	11401
August	142.6	410.68	1901.45	9374.14	11393.33	11393
September	143.3	412.70	1910.80	9420.25	11449.37	11449
	Average for the period from October, 2023 to March, 2024					**67857**÷6 = 11309.67 or 11310

Previous average for the period October, 2023 to March, 2024 is 11097 points and average for the period from, April, 2024 to September, 2024 is 11310 Thus there is an increase of 213 points in the average indices for the period under review as compared to the previous period.

(M.P. Meena)
Labour Commissioner
Rajasthan, Jaipur.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Prasad Meena
Designation : Commissioner
Date: 2024.11.25 14:12:43 IST
Reason: Approved

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 22, शुक्रवार, शाके 1946- दिसम्बर 13, 2024 Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/23926 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में निम्नांकित अनुसूचि “भाग-1 एवं भाग-2” में सम्मलित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित करती है:-

अनुसूची "भाग-1"

क्र.सं	**अनुसूचित नियोजनों के नाम**
1	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3	ऑटोमोबाईल वर्कशॉप
4	कॉटनडाईंग-, प्रिन्टिंग तथा वाशिंगफैक्ट्रीज
5	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों मेंनियोजन
7	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8	पावरलूम फैक्ट्रीज
9	प्रिंटिंग प्रेस
10	सिनेमा इण्डस्ट्रीज

11	तेल मिल (मिल ऑयल)
12	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13	वूल क्लिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14	हैण्डलूम उद्योग
15	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपानके नियोजन
16	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20	अभ्रक कर्मान्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल मेंनियोजन
22	सड़को के संन्निर्माणया अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं मेंनियोजन
23	सरकारी कार्यालयों में कंटिंजेन्सी एण्डवर्क्स में मण्डलों तथा निगम जिसमें आकस्मिक (नियुक्तश्रमिक/कामगार शामिल भी है)
24	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति सेसंबंधित नियोजन
25	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेंनियोजित श्रमिक/कामगार
26	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजितश्रमिक/कामगार
28	जट पट्टी उद्योग
29	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
30	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
31	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स जो(सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो में) नियोजन।
32	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
33	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योगमें नियोजन
34	कोल्ड ड्रिंक्स, सोड़ा एवं अलाइड प्रोडक्ट्सकी मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
35	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
36	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं मेंनियोजन
37	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखानेजो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन मेंसम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
38	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन
39	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेजइण्डस्ट्रीज में नियोजन
40	एल.पी.जी. वितरण एवं सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन
41	मार्केटिंग एवं कन्ज़्यूमर्स कोऑपरेटिव-सोसायटीज में नियोजन
42	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंगउद्योग में नियोजन
43	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवंफार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन

44	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं मेंनियोजन
45	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ. एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनोंमें सम्मिलित नहीं है
47	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग मेंनियोजन
48	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंगऐजेन्सीज में नियोजन
49	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के)में नियोजन
50	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग मेंनियोजन
51	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग मेंनियोजन

अनुसूची "भाग-II"

क्र.सं	अनुसूचित नियोजनों के नाम
52	**(कृषि में नियोजन)-** किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, पशुधन पालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ-साथ की गई क्रियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनुसूची भाग-I एवं II में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों /कर्मचारी का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरे (रूपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
अकुशल -बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर, फर्राश, धोबी, भिश्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, साईकिल सवार, निर्वाहक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रोली फिलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफ्टर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जींगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईंगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्कर्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रोलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर-क्लीनर, कोलमैन, क्रेटमैन, गेटकीपर, कुक कैरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिऑन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, क्लीनर - होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100-100 घटाकर वेतन देय	7410/-	285/-

होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)		
2.**अर्द्धकुशल** - मुंशी, भू मापक, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर्स, सहायक पेन्टर्स, वे-मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्मकार, अस्सिटेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिटेन्ट फिटर, अस्सिटेन्ट कारपेन्टर, अस्सिटेन्ट टर्नर, अस्सिटेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिटेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिटेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिटेन्ट स्क्रीन प्रिन्टर, वर्क्स एंगेज्ड ऑन हैण्डिलिग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिटेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राईडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गैट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाईण्डिग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाईजर), कोल्हूमैन, फिटरमैन, फायरमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पैट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउधर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्बलिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोजर्र, वेटमैन, सिल्कमैन, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज ओर कटर्स, स्वीपर (गटर सफाई वाला) तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)	7722/-	297/-
3. **कुशल** - मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नरर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रेक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिट्टी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्तितक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इक्विप्मेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेण्डेण्ट, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डक्टर्स, ड्राईवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेट्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स ऑफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर,	8034/-	309/-

ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाईजर, मशीन फिटर, टर्नर, प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, विलोरूम जोबर, बिल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, कुक, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्फेक्षनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीवेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, अस्सिटेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाईजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर-लाईनो/मोनो, डाई प्रिन्टर, कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर,डाईग मास्टर, कन्टेनर मैन, फोरमैन,कार्डिग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस-ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्लर, स्क्रिन प्रिन्टिग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फेल्ट मास्टर कुशिंग एण्ड पिग्मेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर, जूनियर टैक्नीकल असिसटेंट तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो कुशल कार्य करते हो)		
4 **<u>उच्च कुशल (Highly Skilled).</u>**स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाईजर, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, लैब टेक्निशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, ई.सी.जी. टेक्निशियन, रेडियोग्राफर मैन पॉवर, फार्मेसिस्ट, सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट, कुक,मेल/फिमेल, नर्स तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)	9334/-	359/-

<u>टिप्पणियॉ:-</u>

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।

6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवरएवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index)दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
9. पार्ट टाईम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिषत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।
10. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,
अति0 श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 22, शुक्रवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 13, *2024*

Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज-पत्र में '' विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन" में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों में पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) न्यू.म.अभि./ श्रम/आई.आर./2000/ पार्ट/ 24143 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रास्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में '' विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में **नियोजन" में नियोजित कर्मचारी/श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023** से पुनरीक्षित करती है:-

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दर (रूपये में)
1	विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन	**उच्च कुशल:-** विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (एम.आर.)	359/-रूपये प्रतिदिन या 9334/-रूपये प्रतिमाह

टिप्पणियॉ-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. उच्च कुशल **(Highly Skilled)** कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षो के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यो के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।
7. मजदूरी की न्यूनतम दरे ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवरएवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index)दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,
अति0 श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।